

एक पहल सरकारी योजनाओं से एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को जोड़ने की

1 योजना का नाम: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

लाभ: उपचार सेवाये प्राप्त करने हेतु रु. 30,000/- का बीमा योजना लाभ बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों हेतु स्मार्ट कार्ड एवं उपचार सेवाएं लेने हेतु यात्रा भत्ता (रु. 100/- प्रत्येक यात्रा हेतु) लेकिन वार्षिक यात्रा रु. 1,000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु.19884 एवं शहरी क्षेत्र रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात अम्यर्धी बी.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: बी.पी.एल. श्रेणी का कार्ड धारक हो एवं आय प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम विकास अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://www.rsbj.gov.in/>

2 योजना का नाम: दुग्धा पोषण आहार योजना (आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत)

लाभ : दुग्धा पुष्टाहार (6 माह से 3 वर्ष के प्रति बच्चों के लिये 250 ग्राम पुष्टाहार प्रति दिन एवं 3 से 6 वर्ष के प्रति बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर मध्याह्न में हॉट फुड्ड फूड एवं सुबह नाश्ते में बुधवार एवं शुक्रवार को छोड़कर रीच इनजी फूड तथा दो दिवसों में बुधवार एवं शुक्रवार को मौसमी फल, लाई-मना, गुड़-मना आदि तथा गर्भवती एवं मात्री महिलाओं को 150 ग्राम रीच इनजी फूड प्रति लॉभार्थी प्रति दिन की दर से दिया जाता है।



पात्रता मापदण्ड: एच.आई.वी. के साथ जी रहे एवं इससे प्रभावित बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं हेतु

आवश्यक दस्तावेज: मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया हुआ पत्र।

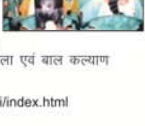
कार्यवाही: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा लाभार्थी को निम्नित किया जाता हैं।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://icdsupweb.org/hindi/poshankariya.html>

3 योजना का नाम: किशोरी शक्ति योजना

लाभ: बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान जागृत करना



पात्रता मापदण्ड: 11 से 18 वर्ष की किशोरी, जो विद्यालय छोड़ चुकी हो, उनका परिवार गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हो, वार्षिक रूप से दुर्बल हो।

आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: महिला एवं बाल कल्याण विभाग /समाज कल्याण विभाग

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://icdsupweb.org/hindi/index.html>

4 योजना का नाम: इन्दिरा आवास योजना

लाभ: आवास हेतु घर



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु.19884 एवं शहरी क्षेत्र रु.25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात अम्यर्धी बी.पी.एल. श्रेणी के अन्तर्गत आता हो।

आवश्यक दस्तावेज: बी.पी.एल. कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्राम सभा की बैठक की रिपोर्ट, जिसमें अम्यर्धी के नाम की संसृति इस योजना से जोड़ने के लिए अनुमोदित की गई हो।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: डी.आर.डी.ए./जिला परिषद /ग्राम प्रधान /ग्राम सचिव

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://zpraichur.kar.nic.in/ay.htm>

5 योजना का नाम: बालिका सभुद्धि योजना

लाभ: प्रसव के उपरान्त महिलाओं को रु. 500/- नकदी और बालिकाओं को पढ़ाई के लिए (कक्षा 1 से 12 तक) वित्तीय सहायता स्कूल में पढ़ाई करने के लिए।



पात्रता मापदण्ड: ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 15 अगस्त 1997 के पश्चात हुआ हो तथा गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु. 19884 एवं शहरी क्षेत्र रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: साझा बैंक एकाउन्ट बच्यो के साथ, भरा हुआ आवेदन फार्म, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: महिला एवं बाल कल्याण विभाग /आई.सी.डी.एस. के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा बाहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://wcd.nic.in/BSY.htm>

6 योजना का नाम: शादी अनुदान राशि बालिन सहयोग हेतु तथा परिवार के सदस्यों के विवाही उपचार हेतु स्वास्थ्य अनुदान राशि योजना

लाभ: गरीब परिवारों को पुत्रियों की शादी हेतु रु. 10 हजार तथा उनके परिजनों की बीमारी के इलाज हेतु रु. 5000 आर्थिक सहायता



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु. 19884 एवं बाहरी क्षेत्र रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी हेतु लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: बैंक एकाउन्ट, भरा हुआ आवेदन फार्म, जन्म प्रमाण पत्र, शादि का कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग /मुख्य

विकास अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://swd.up.nic.in/120809/SWD%20Budget%20Schemes/Schemes/point%205.pdf>

7 योजना का नाम: रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना

लाभ: लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि 02 छमाही किस्तों की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों में प्रेषित की जायेगी।



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु. 19884 एवं शहरी क्षेत्र रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए) के नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे परिवार जो बी.पी.एल. सूची में सम्मिलित होने से छूट गये हैं और जिनमें बी.पी.एल. राशन कार्ड, अंत्योदय योजना या किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया को रखने और अन्यथा की स्थिति में ही पुरुष मुखिया को लाभार्थी बनाने का प्राविधान किया गया है।

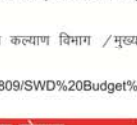
आवश्यक दस्तावेज: बैंक एकाउन्ट, भरा हुआ आवेदन फार्म, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग /मुख्य विकास अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://swd.up.nic.in/120809/SWD%20Budget%20Schemes/Schemes/point%205.pdf>

8 योजना का नाम: किसान दुर्घटना बीमा योजना

लाभ: किसान की अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में रु. 5 लाख की बीमा धनराशि हेतु आर्थिक सहायता।



पात्रता मापदण्ड: ऐसे कृषक जिनकी आयु 12 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हो और उनकी मृत्यु खेती के कार्य से अपने घर से निकलते समय किसी दुर्घटना जैसे बिजली का करन्ट, आकाशीय बिजली गिरने, सीप काटने, डूबने या अन्य किसी एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उस किसान के परिवार को बीमा की धनराशि प्राप्त होती है।

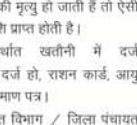
आवश्यक दस्तावेज: राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में दर्ज खातेदार /सहखातेदार के रूप में कृषक का नाम दर्ज हो, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: पंचायत विभाग / जिला पंचायत अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://upgov.nic.in/>

9 योजना का नाम: राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना

लाभ: 100 दिन का काम



पात्रता मापदण्ड: ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज: जॉब कार्ड

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: पंचायत अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx>

10. योजना का नाम: अन्त्योदय अन्न योजना

लाभ: राशन - गेहूं रु. 2 प्रति किलो, चावल रु. 3 प्रति किलो और 700 ग्राम चीनी रु. 13.50 प्रति किलोग्राम। कुल 35 किलो अनाज विन्धित परिवार को दिया जाता है।



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले एवं जिनको गुलाबी कार्ड जारी किया गया हो।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: पंचायती राज्य विभाग / ग्रामीण परिवारों में पंचायत प्रधान और शहरी परिवारों में मोटीफाइड ऐरिया कमेटी।

सम्बन्धित वेब लिंक: http://icamin.nic.in/dfpd_html/aay.htm#

11 योजना का नाम: बीमारी उपचार सहायता राशि

लाभ: उपचार हेतु रु. 5000/- की राशि एच.आई. वी./ एड्स, टी.बी. एवं कैंसर के लिए।



पात्रता मापदण्ड: गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु.19884 एवं शहरी क्षेत्र रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज: आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता, ए.आर.टी. कार्ड या एच.आई.वी. जॉब रिपोर्ट की फोटो कापी, पिछड़े वर्ग के रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा बनावकर आवेदित करें।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: जिला समाज कल्याण अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://swd.up.nic.in/120809/SWD%20Budget%20Schemes/Schemes/point%205.pdf>

12 योजना का नाम: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

लाभ: परिवार लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु दिनांक 1-4-2006 को अथवा इसके पश्चात हुई मृत्यु के मामलों में अधिकतम आर्थिक सहायता सभी पात्रों के लिए रु. 20000/- होनी।



पात्रता मापदण्ड: (अ) इस योजना के लिए शोकसंतान परिवार वह माना जायेगा, जो भारत सरकार के निर्धारित मानदण्डों, गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे परिवारों में से एक होगा अर्थात वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार की वार्षिक आमदनी रु. 19884, एवं शहरी क्षेत्र में वार्षिक आमदनी रु. 25546 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ब.) पारिवारिक लाभ ऐसे शोक संतान परिवार के लिए अनुमन्य है, जहां उस परिवार के मुख्य जीपिकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से 64 के बीच हुई हो।

आवश्यक दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, आय प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता का।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग /जिला समाज कल्याण अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://swd.up.nic.in/120809/SWD%20Budget%20Schemes/Schemes/point%203.pdf>

13 योजना का नाम: विधवा पेंशन योजना

लाभ: विधवा पेंशन के लिए 300 रु. महिना धनराशि का प्राविधान हैं।



पात्रता मापदण्ड: (अ) इस योजना के लिए वही महिला पात्र होगी जो किसी पेंशन, व्यवसाय एवं नौकरी से लाभान्वित न हो।

(ब) इस योजना का लाभ वही विधवा महिला ले सकती है जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो।

(स.) बच्चे बालिंग नहीं हो यदि हो तो अलग रहते हो।

आवश्यक दस्तावेज: मृत्यु प्रमाण, राशन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग /जिला प्रोवेशन अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://nsap.nic.in/Guidelines/guidelines%20on%20GNWPS%2030sep09.pdf>

14 योजना का नाम: जननी सुरक्षा योजना

लाभ: रु. 1400/- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं रु. 1000/- शहरी क्षेत्र की महिलाओं हेतु।



पात्रता मापदण्ड: गर्भवती महिलाएँ जिनका प्रसव जिला अस्पताल में हुआ हो और उनकी उम्र 19 साल से ज्यादा हो।

आवश्यक दस्तावेज: डिस्चार्ज कार्ड, टीकाकरण कार्ड, राशन कार्ड।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण /प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://mohfw.nic.in/WriteReadData/892s/file28-99526408.pdf>

15 योजना का नाम: वृद्धावस्था पेंशन योजना

लाभ: वृद्धावस्था पेंशन के लिए 300 रु. महिना धनराशि का प्रावधान है।



पात्रता मापदण्ड: (अ) इस योजना का लाभ वही वृद्ध ले सकता है जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो

(ब) इस योजना के लिए वही वृद्ध पात्र होगा /होगी जो किसी पेंशन, व्यवसाय एवं नौकरी से लाभान्वित न हो।

(स) बच्चे बालिंग नहीं हो यदि हो तो अलग रहते हो।

जिलेस्तर पर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी: समाज कल्याण विभाग /विकास खण्ड अधिकारी

सम्बन्धित वेब लिंक: <http://nsap.nic.in/Guidelines/modifications%202007.pdf>

उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी

चतुर्थ तल, ए-ब्लॉक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
फोन नं. : 0522-2730360, 2721871, फैक्स : 0522-2721135,
वेबसाइट : <http://upedscontrol.up.nic.in>

एक पहल

सरकारी योजनाओं से एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को जोड़ने की

उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी